संख्या:26/2016/184 बीपी/35-1-2016

प्रेषक,

अबरार अहमद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ :दिनांक 14 अक्टूबर, 2016

विषय:- बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत वन विभाग की परियोजनाओं हेतु वर्ष 2016-17 में धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में शासनादेश संख्या-11बीपी/35-1-2014 दिनांक 29 जनवरी, 2014 के माध्यम से निम्नांकित परियोजनाओं की रू. 21.05 करोड़ की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 8.38 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई थी, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा रू 5.38 करोड़ की धनराशि व्यय की गयी और शेष धनराशि समर्पित कर दी गई। वर्ष 2014-15 में शासनादेश संख्या 92बीपी/35-1-2014 दिनांक 08 मई, 2014 द्वारा परियोजना के अवशेष कार्यों हेतु रू. 9.545 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा पूर्ण धनराशि का व्यय कर लिया गया। इस प्रकार वर्ष 2014-15 तक परियोजनान्तर्गत कुल रू. 14.925 करोड़ की धनराशि व्यय हुई है और अनुमोदित लागत के सापेक्ष रू. 6.125 करोड़ अवशेष देय होती है। एतद् द्वारा परियोजनाओं के अवशेष कार्यों हेतु विभागीय मांग के अनुरूप रू. 6.105 करोड़ (रूपये छः करोड़ दस लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(करोड़ रू. में)

	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत	व्यय	भारत सरकार से प्राप्त सहायता	लागत के सापेक्ष अवशेष देय धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	सहायतित प्राकृतिक पुनरोत्पादन (ए.एन.आर.)	12.750	9.945	12.750	2.805	2.805
2	चेक डैम का निर्माण	8.300	4.980	8.300	3.320	3.300
	योग	21.050	14.925	21.050	6.125	6.105

1- सन्दर्भित शासनादेशों की अन्य शर्तें यथावत रहेगी।

2- स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में दिनांक 31 मार्च, 2017 से पूर्व कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे दिनांक 31 मार्च, 2017 से पूर्व समर्पित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान कार्यालय महालेखाकार, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 03 माह में अर्थात 30 जून 2017 तक अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

4- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कार्यवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना पूर्व निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग को भेजी जायेगी।

2- स्वीकृत धनराशि के समक्ष होने वाला व्यय अनुदान संख्या 40 के लेखाशीर्ष-4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-पिछड़े क्षेत्र-102-समाज तथा फार्मवानिकी-03 -बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें-01- वनीकरण-24-वृहद निर्माण के नामे डाला जायेगा। यह धनराशि आदेश यूओ संख्या:11 बीके/35-1-2016 दिनांक 14 अक्टूबर, 2016 द्वारा पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत की गई है।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्रतिनिधानित अधिकारों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

संख्या– 26/2016/184बीपी (1)/35-1-2016 तद् दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2-महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3-प्रमुख सचिव, वित्त विभाग।
4-प्रमुख सचिव वन/ कृषि/ लघु सिंचाई विभाग ।
5-निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
6-मण्डलायुक्त, झांसी/ चित्रकूट धाम।
7-जिलाधिकारी, झांसी/ ललितपुर/ जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
8-मुख्य विकास अधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
9-कोषाधिकरी, झांसी/ललितपुर/जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
10-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
11-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी/ ललितपुर/ जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
12-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।